महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या 80A सी0एम0 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–1

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय–निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूसा संग्रहण में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि पशुधन विभाग के शासनादेश दिनांक 04.05.2022, दिनांक 20.05.2022 एवं दिनांक 03.03.2023 में निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अधिकाधिक मात्रा में भूसा क्रय एवं दान के माध्यम से संग्रहीत कर भूसा बैंक बनाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

2– वर्तमान में गेहूँ कटाई का सीजन चल रहा है। भूसे की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। अतः प्रत्येक जनपद में कृषकों, समाजसेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मण्डल एवं पशु प्रेमियों आदि से अधिकाधिक मात्रा में दान के माध्यम से भूसा प्राप्त कर भण्डारण कर लिया जाय।

3– गेहूँ कटाई का सीजन होने के कारण भूसा कम दरों पर उपलब्ध है। अतः जनपद की आवश्यकता के अनुसार वर्ष पर्यन्त हेतु भूसा क्रय कर अभी संरक्षित कर लिया जाय।

4– चूंकि फसल कटाई के समय वर्तमान में भूसा कम दरों पर स्थानीय रूप से उपलब्ध है। अतः पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भण्डारण करना श्रेयस्कर होगा। इस प्रक्रिया से परिवहन व्यय की भी बचत होगी। भूसा क्रय हेतु एस0एफ0सी0 पुलिंग से भी प्राप्त धनराशि का उपयोग किये जाने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

5– भूसा गोदाम की उपलब्धता न होने की दशा में पारम्परिक तरीके से भुर्जी, खोप, मण्डिला / भोगा आदि तैयार कर भूसा संरक्षित करा लिया जाय। सम्यक Inventory Management भी सुनिश्चित किया जाय।

6– दानदाताओं से अधिकाधिक मात्रा में भूसा दान में प्राप्त किया जाय तथा इसका समुचित स्टोरेज एवं Inventory Management पृथक से किया जाय।

7– प्रदेश में बड़ी पशुधन आबादी के दृष्टिगत भूसे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हेतु स्ट्रा रीपर के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–924 / सैंतीस–2–2023, दिनांक 11.04.2023 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके द्वारा जहॉ एक ओर पराली की समस्या का समाधान होगा वहीं दूसरी ओर पर्याप्त मात्रा में भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

8– भूसे के भण्डार की सूचना साप्ताहिक रूप से निर्धारित संलग्न प्रारूप (संलग्नक–1) पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को ई–मेल आई0डी0

I/303076/2023

directorahd@yahoo.com, jdgoshala.up@gmail.com पर मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के सत्यापनोपरान्त संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध कराई जाय।

9– निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु भूसे की आवश्यकता का आंकलन करते हुए जनपदवार दान के माध्यम से एवं क्रय किये जाने वाले भूसे की मात्रा के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जो संलग्न है (संलग्नक–2)।

10– अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र भवदीय,
Date: 18-04-2023 11:03:34
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–80 सी०एम०ए(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन।
5– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
6– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
7– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।